न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र प्रकरण, करौली (राज0)
(सैशन न्यायाधीश, करौली)

पीठासीन अधिकारीः श्री राजेश नारायण शर्मा, ''आर.एच.जे.एस.''

<u>1. सेशन प्रकरण संख्याः 61/2007,</u>
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 841/2006 थाना हिण्डौनसिटी, जिला करौली)

राज्य सरकार.......

———अभियोगी

बनाम

सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल पुत्र सुलेमान उर्फ डुमण्डा जाति मुसलमान निवासी गढ़ी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर (राज0)।

———अभियुक्त

<u>2. सेशन प्रकरण संख्याः 43/2008,</u>
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 841/2006, थाना हिण्डौनसिटी, जिला करौली)

राज्य सरकार.......

———अभियोगी

बनाम

सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर पुत्र इस्लाम उर्फ चुण्डा जाति मुसलमान निवासी गढी मेवात उर्फ चोरगढी थाना डीग जिला भरतपुर (राज0)।

''मफरूर दिनॉक 14.10.2014''

———अभियुक्त

<u>3. सेशन प्रकरण संख्याः 13/2008,</u>
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 841/2006, थाना हिण्डौनसिटी, जिला करौली)

राज्य सरकार.........

———अभियोगी

बनाम

1. साहिद उर्फ गुल्ला पुत्र नसरू उर्फ खाजी जाति मुसलमान निवासी चोरगढ़ी उर्फ गढ़ी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर (राज0)।

''मफरूर दिनॉक 14.10.2014''

2. लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र दीनू उर्फ चॉव खॉ जाति मेव मुसलमान निवासी चोर गढ़ी उर्फ गढ़ी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर (राज0)।

''मफरूर दिनॉक 14.10.2014''

———अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 399, 400, 402,</u>
<u>353 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम.</u>

उपस्थित :
1. श्री संतोष कुमार सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक, ओर से राज्य सरकार।
2. श्री अबरार अहमद, अभिभाषक, ओर से अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः 07.03.2018</u>

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनॉक 12.11.2006 को एस.एच.ओ. पुलिस थाना हिण्डौनसिटी मानसिंह चौधरी ने वक्त वापसी थाना पर एक रपट रोजनामचा आम में इस आशय की पेश की कि वह हमराही जाप्ता मय मोटर साईकिल व जीप सरकारी से बहवाले रपट नम्बर 807 रोजनामचा आम रवाना हुआ, थाने से रवाना होकर मुताबिक सूचना मुखबिर के आरेडा रोड पर फाटक से पहले बाईपास रोड के नीचे झाडियों की आड में 6–7 आदमी हथियारों से लैस होकर हिण्डौन में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, वहॉ अपनी उपस्थिति छिपाते हुये समय 3.20 ए.एम. पर पहुॅचे जहॉ कुछ व्यक्तियों के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी जो डकैती की योजना बना रहे थे, उसके बाद दो–दो आदमी दो मोटर साईकिलों पर तथा एक मोटर साईकिल पर तीन आदमी बैठ गये, आगे लाल रंग की दो मोटर साईकिल थी एवं उनके पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के हाथ में देशी कट्टा टाईप हथियार लिये हुये थे एवं तीसरी मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्तियों में एक के पास तलवार व दूसरे के पास कट्टा नजर आया, सभी अपने कट्टों को लोड करने लगे, इसी समय उसने समस्त जाप्ते को इशारा कर घेरा देकर पकडने के आदेश दिये, इस पर बदमाशान मोटर साईकिल स्टार्ट कर भागने लगे एवं उस पर व जाप्ता पर मोटर साईकिल चढाने का प्रयास किया तथा मोटर साईकिल को बाईपास झारेडा रोड पर चढाकर भागने लगे। इस पर उनका पीछा किया तो लाल रंग की मोटर साईकिल पर सवार चालक खतरनाक तरीके से गाडी चलाकर गिर कर घायल हो गया एवं उसके पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया, दूसरी मोटर साईकिल पर सवार व्यक्ति भी अॅधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। घायल व्यक्ति को उसने पकडा एवं नाम पता पूछा तो अपना नाम अकील उर्फ अब्बा उर्फ टेनी पुत्र दीनमोहम्मद उर्फ दीनू उर्फ पप्पू मुसलमान मेव निवासी गढी थाना डीग बताया, जिसे देखा गया तो समस्त शरीर पर गम्भीर चोटें आई हुई है। बदमाशान की मोटर साईकिल का नम्बर आर.जे.05/4एम 1003 पाया गया जिसे कब्जे पुलिस लिया गया। थोडी दूरी पर दूसरी मोटर साईकिल बिना नम्बरी को नन्दराम ए.एस.आई. ने चैक किया तो उस पर सवार दोंनों व्यक्ति मोटर साईकिल छोडकर भाग गये। रमेश चन्द एच.सी. ने एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को झारेडा फाटक पर मय देशी कट्टा दो कारतूस बारह बोर के साथ पकड लिया, पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सकरउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल मुसलमान मेव होना बताया जिसके कब्जे से मिली मोटर साईकिल को चैक किया। दोंनों व्यक्तियों से उनके साथ आये व भागने वाले व्यक्तियों के नाम पता पूछे तो दोंनों ने अपने साथ सईद उर्फ गुल्ला, आजम, लुकमान, सम्मस उर्फ

समसू उर्फ किच्चर, फकरु होना बताया। इस प्रकार उक्त सातों व्यक्तियों द्वारा हथियारों से सुसज्जित होना, डकैती की तैयारी करना, सभी व्यक्तियों का डाकुओं की टोली का सदस्य होना एवं डकैती करने का प्रयोजन से एकत्रित होना एवं पुलिस पर उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में मोटर साईकिलों को पुलिस पर चढाने का प्रयत्न करना एवं हथियार दिखकर बल प्रयोग करना पाये जाने से उनके कब्जे से प्राप्त तीनों मोटर साईकिलों को अलग अलग जप्त किया एवं मुलजिम सकरूउल्ला के कब्जे से मिले अवैध देशी कट्टा 12 बोर मय दो कारतूस जिन्दा को जप्त कर सील मोहर किया व मुलजिम सकरूउल्ला को गिरफ्तार किया गया। घायल व्यक्ति अकील को अस्पताल हिण्डौन ईलाज हेतु जरिये कॉस्टेबिल भरतसिंह, गजराज के रवाना किया गया। उक्त रपट रोजनामचा पर पुलिस थाना हिण्डौनसिटी में एफ. आई.आर.सॅख्या 841/06 अन्तर्गत धारा 399, 400, 402, 353 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया।

2. बाद अनुसॅधान अभियुक्त सकरूउल्ला के विरुद्ध अभियोग पत्र अं0धा0 399,400,402,353 भा0दं0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण आरोप पत्र एवं अभियुक्त फकरु, सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर, लुकमान उर्फ लुक्का, आजम व साईद उर्फ गुल्ला के विरुद्ध अभियोग पत्र धारा 299 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंधा0 399,400,402,353 भा0दं0सं0 में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी में दिनॉक 17.1.2007 को पेश किया गया। जहॉ से प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जो सेशन प्रकरण सॅख्या 61/07 सरकार बनाम् सकरूउल्ला के रूप में दर्ज किया गया। तथा एक अन्य बाल अपचारी अकील उर्फ अक्का उर्फ टेनी पुत्र दीन मोहम्मद उर्फ दीनू उर्फ पप्पू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड भरतपुर में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त शाहिद के दिनॉक 23.8.2007 व अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्का के दिनॉक 30.8.2007 को गिरफ्तार होने पर उनके विरुद्ध तितम्बा अभियोग पत्र अं0धा0 399,400,402,353 भा0दं0सं0 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी में दिनॉक 22.10.2007 को प्रस्तुत किया गया जहॉ से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जो सेशन प्रकरण सॅख्या 13/08 सरकार बनाम् शाहिद वगैरह के रूप मे दर्ज किया गया। उक्त सैशन प्रकरण संख्या 13/2008 की आदेशिका दिनांक 05.11.2008 के अनुसार उपरोक्त सैशन प्रकरण को सैशन प्रकरण संख्या 61/2007 सरकार बनाम् सकरूउल्ला के साथ एक ही

प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के कारण समेकित करने का आदेश दिया गया।

4. अभियुक्त सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर के दिनॉक 17.11.2007 को गिरफ्तार होने पर उसके विरुद्ध तितम्बा अभियोग पत्र अं0धा0 399,400,402,353 भा0दं0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी में दिनॉक 22.12.2007 को प्रस्तुत किया गया। जहॉ से यह प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो सेशन प्रकरण सॅख्या 43/08 सरकार बनाम् सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर के रूप में दर्ज किया गया। उक्त सैशन प्रकरण संख्या 43/2008 की आदेशिका दिनांक 05.11.2008 के अनुसार उपरोक्त सैशन प्रकरण को सैशन प्रकरण संख्या 61/2007 सरकार बनाम् सकरूउल्ला के साथ एक ही प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के कारण समेकित करने का आदेश पारित किया गया।

5. न्यायालय आदेशिका दिनॉक 14.10.2014 के अनुसार अभियुक्तगण सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर, शाहिद उर्फ गुल्ला व लुकमान उर्फ लुक्का के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उन्हें मफरूर घोषित किया गया है। अतः यह निर्णय केवल मात्र अभियुक्त सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल के बाबत् पारित किया जा रहा हैं।

6. बहस चार्ज सुनी गई, बाद बहस चार्ज सुनने के अभियुक्त सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल के खिलाफ धारा 399, 400, 402, 353 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्त सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल को धारा 399, 400, 402, 353 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर जुर्म से इन्कारी की व अन्वीक्षा चाही।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष की पुष्टि में गवाह पी.डब्ल्यू.1 रमेशचन्द, पी. डब्लयू.2 राजूलाल, पी.डब्लयू.3 भॅवरपाल, पी.डब्लयू.4 रूपसिंह, पी.डब्लयू.5 गजराज सिंह, पी.डब्लयू.6 सीताराम, पी.डब्लयू.7 भगवानसहाय, पी.डब्लयू.8 भरतसिंह, पी. डब्लयू.9 अशोक कुमार डेरोलिया, पी.डब्लयू.10 लक्ष्मण सिंह, पी.डब्लयू.11 नन्दराम, पी.डब्लयू.12 रविन्द्र सिंह, पी.डब्लयू.13 कैलाशचन्द, पी.डब्लयू.14 फतेहसिंह, पी. डब्लयू.15 दामोदर सिंह व पी.डब्लयू.16 रामनिवास के बयान कराये गये।

8. अभियोजन की ओर से साक्ष्य के दौरान दस्तावेजात फर्द जप्ती वजह सबूत अवैध कट्टा 12 बोर मय 2 कारतूस जिन्दा वकब्जा मुलजिम सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल प्रदर्श पी.1, फर्द जप्ती वजह सबूत एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सी.डी.डीलक्स बिना नम्बरी प्रदर्श पी.2, नक्शा मौका प्रदर्श पी.3, फर्द चैंकिग व जप्ती तीन मोटरसाईकिल एवम् एक देशी कट्टा 12 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस वकब्जे मुलजिम अकील उर्फ अक्का उर्फ टेनी प्रदर्श पी.4, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.5, फर्द जप्ती वजह सबूत मोटरसाईकिल प्रदर्श पी.6, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सकरूल्ला प्रदर्श पी.7, आरमोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 व मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी.9ए को साक्ष्य में प्रदर्शित कराया गया।

9. अभियुक्त सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये तो उसने अभियोजन साक्ष्य को अपने खिलाफ गलत बताया व सबूत सफाई पेश नहीं की व कहा कि झूंठा फॅसाया है, निर्दोष है।

10. मैंनें दोंनों पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय को निम्न प्रश्न पर निर्णय करना है :—

- क्या दिनॉक 02.11.2006 को सुबह 3.00 ए.एम. पर झारेडा रोड पर फाटक से पहले बाईपास रोड के नीचे झाडियों में डकैती प्रभावित क्षेत्र में अभियुक्त सकरूउल्ला उर्फ सुक्कर ने घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अन्य अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से डकैती की योजना बनाते हुए तैयारी की और अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर अन्य अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित हुआ व डाकुओं की टोली के सदस्य थे जो अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त थी तथा पुलिस पार्टी जो लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रही थी, को उसके कर्तव्य निर्वहन से निवारित करने, भयोपरत करने व कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की जाने वाली बात के परिणामस्वरूप उन पर मोटरसाईकिल चढाने का प्रयत्न करना व हथियार दिखाकर आपराधिक बल का प्रयोग कर हमला किया तथा अपने कब्जे में बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर रखे। इस प्रकार अभियुक्त सकरूल्ला ने उक्त डकैती प्रभावित क्षेत्र में धारा 399, 400, 402, 353 भा.दं. सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है ?

11. अभियोजन पक्ष का कहना है कि सभी साक्षीगण ने अभियुक्तगण के खिलाफ साक्ष्य दी है कि घटना दिनॉक 02.11.2006 को रात्रि 3.00 बजे बाईपास रोड के नीचे झाडियों में 5—7 व्यक्ति डकैती की तैयारी कर रहे थे, उनके पास हथियार भी थे। जो पुलिस को देखकर भाग गये। जिसमें से दो बदमाशों को पकड़ लिया। डकैती की तैयारी तथा डकैती कारित करने के लिए ये सभी बदमाशान एकत्रित हुए थे तथा अवैध हथियार इनके पास से बरामद हुए है। पुलिस कर्मियों के उपर बदमाशान द्वारा हमला कारित किया गया है। अतः दोषसिद्ध किया जावे।

12. अभियुक्त पक्ष का कहना है कि डकैती किसके यहॉ डाली, यह कहीं भी साक्ष्य में नहीं है, किसके यहॉ डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे, यह भी साक्ष्य में नहीं है। तफ्तीश झूंठी है, रोजनामचा आम पेश नहीं किया गया है। मौके पर दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए है, डकैती के लिये कम से कम पॉच व्यक्ति होना आवश्यक है। कोई स्वतंत्र गवाह नही बनाये गये है ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से स्वतंत्र गवाहान पेश किये गये है। सभी गवाह पुलिस कर्मी है। कट्टा बरामद हुआ है किन्तु जिला कलक्टर जिसने कि अभियोजन स्वीकृति जारी की है, को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन स्वीकृति देते समय आयुध को जिला कलक्टर ने अपने सामने नहीं मॅगवाये है। अभियुक्तगण के पास यदि अवैध हथियार कट्टा वगैरह होते तो पुलिसकर्मियों पर फायर अवश्य करते, किसी भी मुलाजिमान पुलिस कर्मियों के उपहति कारित नहीं हुई है। जिससे स्पष्ट है कि ना तो मौके पर डकैती की तैयारी कर रहे थे ना ही डकैती कारित करने के लिए एकत्रित हुए थे। किसी स्वतंत्र गवाह से पुष्टि नहीं हुई है। अनुसंधान अधिकारी ने भी स्वयं मामले में तफ्तीश की है, वह विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्तगण के खिलाफ कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, इसलिये दोषमुक्त किया जावें।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त विचारणीय बिन्दू के सम्बन्ध में कुल 16 साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्लयू.1 रमेशचन्द का कहना है कि दिनांक 11 व 12 नवम्बर 2006 की दरम्यानी रात की बात है। मैं उस समय कोतवाली हिण्डौनसिटी पर हैड कॉस्टेबिल के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी रात्रि 12 बजे से सुबह 5 ए.एम. तक रात्रि गश्त की ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान मैं व कॉस्टेबिल कैलाशचंद साथ थे। मोटरसाइकिल पर मैं व कैलाशचंद थे व मेरे पास वीएचएफ हैंडसेट भी था। रात्रि करीब 12 बजे गश्त से निकला ही था तो थाने से क्यूएसटी प्राप्त हुई कि समस्त जाप्ता जो रात्रि गश्त में सिटी में लगा हुआ है, तुरंत थाने पर पहुंचें। इस पर मैं रवाना होकर थाने पर पहुंचा। जहां पर

मानसिंह एस.एच.ओ. ने हमको बताया कि कुछ बदमाश झारेडा रोड की तरफ मेवात क्षेत्र से आये हुये हैं, जो अपने यहां पर डकैती डाल सकते है व लूट कर सकते है। उक्त इत्तला पर हम सभी जाप्ता रवाना होकर झारेडा बाईपास रेल पटरी पर पहुंचा तो 5–7 बदमाशान बैठे हुये थे। जिन पर तलवारें जैसे हथियार थे। एस.एच.ओ. के निर्देशानुसार पार्टी बनाकर घेरा डाला और मुझे दिये गये टास्क के अनुसार हमने घ ेरकर पकडने के लिये छापा डाला तो बदमाश भागने लगे। एक बदमाश को मैंने पीछा करके पकड लिया, जिसने अपना नाम शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी गढी मेवात होना बताया। जिसके पास से एक सीडी डीलक्स लाल रंग की बिना नंबरी मोटरसाइकिल चोरी की पकडी एवं एस.एच.ओ. ने तलाशी ली तो उसके पास से देशी 12 बोर का अवैध कट्टा व 2 कारतूस जिंदा मिले। भागे हुये सभी बदमाशों को अन्य पुलिस पार्टियों ने पकडा था। जिनके नाम साईद उर्फ मुल्ला मेव, आजम मेव, लुकमान उर्फ लुक्का, समसू उर्फ किच्चर मेव निवासी गढी मेवात तथा फकरू होना बताये। एस.एच.ओ. ने मौके पर ही लिखा पढी की एवं फर्द जप्तियां बनाई। शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल पुत्र सुलेमान के कब्जे से बरामद अवैध कट्टा 12 बोर व दो जिंदा कारतूस को एस.एच.ओ. ने मेरे सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी.1 जप्त कर सीलमोहर किया। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। शकूरउल्ला के कब्जे से बरामद एक सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल बिना नंबरी को एस.एच.ओ. ने मेरे सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी.2 जप्त किया। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

14. यह साक्षी दिनॉक 11 व 12 नवम्बर 2006 की दरम्यिानी रात्रि को गश्त के समय कॉस्टेबिल कैलाशचन्द के साथ था जो पी.डब्लयू.13 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी इस बात की पुष्टि की है कि सुबह करीब 3 बजे जरिये वायरलैस हमें सूचना मिली कि थाने पर पहुॅचे। इस पर हम तुरन्त थाने पर पहुॅचे तथा एस.एच.ओ. साहब के साथ वह व अन्य जाप्ता थाने से झारेडा रोड बाईपास पर पहुॅचे। एस.एच. ओ. ने कहा था कि छुप कर रहना है व मेरे इशारे पर काम करना है। करीब 5–6 बदमाश मय हथियारों के झारेडा रोड पर पुल के नीचे बैठे दिखाई दिये। जिन पर कट्टा व तलवार जैसे हथियार थे। पुलिस को देखकर सभी बदमाश भागने लगे। एस.एच.ओ. साहब के निर्देश पर हमने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक बदमाश अपनी मोटरसाइकिल से खेतों में भाग रहा था। जिसके पीछे दो बदमाश बैठे थे। हमने पीछा करके मोटरसाइकिल चलाने वाले बदमाश को पकड लिया व पीछ बैठे बदमाश दोनों भाग गये। पकडे गये बदमाश को हम लेकर आये। जिससे एस.एच.ओ. साहब ने नाम पता पूछा तो शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल

पुत्र सुलेमान जाति मेव निवासी गढी मेवात का होना बताया। जिसके पास से एक 12 बोर का कट्टा व दो जिंदा कारतूस एवं लाल रंग की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक अन्य बदमाश को दूसरे पुलिस जाप्ते ने पकड लिया। जिसका नाम अकील उर्फ अक्का बताया। उसने बतया कि उसकी मोटरसाइकिल पर फकरू व समसू उर्फ सम्मस बैठे हुये थे, जो भाग गये। अकील के कब्जे से एक मोटरसाइकिल मिली। अन्य पुलिस जाप्ते ने भी एक बदमाश को पकड लिया था। जिसने अपना नाम सईद उर्फ मुल्ला पुत्र नसरू जाति मेव होना बताया। उसने भागने वाले मुलजिमान के नाम लुकमान उर्फ लुक्का तथा सलमान उर्फ समसू, फकरू होना बताये। पकडे हुये मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार किया व उनसे बरामद हथियार व मोटरसाइकिल आदि को मौके पर जप्त किया। मौके पर पकडे गये बदमाश शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल से 12 बोर का एक कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुये थे। उन्हें एस.एच.ओ. साहब ने मेरे सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी.1 जप्त कर सीलमोहर किया। जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। इसी अभियुक्त से बरामदशुदा मोटरसाइकिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी.2 जप्त किया था। जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

15. एस.एच.ओ. मानसिंह जिसके साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए रेड डाली गई, वह अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, किन्तु अन्य सभी पुलिसकर्मी परीक्षित हुए है। भॅवरपाल पी.डब्लयू.3, गजराज सिंह पी.डबलयू.5, सीताराम पी.डबलयू.6, भरतसिंह पी.डब्लयू.8, नन्दराम पी.डब्लयू.11 व रविन्द्र सिंह पी. डब्लयू.12 रेड पार्टी में शामिल थे, जिन्होंने भी पी.डब्लयू.1 रमेशचन्द व पी.डब्लयू.13 कैलाशचन्द के बयानों की पुष्टि की है कि थाने से सूचना आने पर गश्त से थाने पर पहॅुचे तथा थानेदार के साथ घटनास्थल पर पहॅुचे तो अभियुक्तगण उन्हें देखकर भागने लगे, जिनका पीछा कर शकूरूउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल को पकड़ लिया व एक अन्य बदमाश अकील उर्फ अक्का को दूसरे पुलिस जाप्ते ने पकड़ लिया था। उनके पास से हथियार बरामद हुए थे।

16. साक्षी रूपसिंह पी.डब्लयू.4 नक्शा मौका से सम्बन्धित साक्षी है, इस साक्षी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर बताये है तथा कथन किया है कि नक्शा मौका जिस स्थान का बनाया उसके बगल में उसका खेत है। वर्ष 2007 में नक्शा बनाया था। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरे केवल दस्तखत करवाये थें। साक्षी भगवानसिंह पी.डब्लयू.7 भी नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 की ताईद करता है तथा इस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर बताता है। साक्षी ने जिरह में

कथन किया है कि घटनास्थल पर हमारे खेते है, रूपसिंह के खेत के पास पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर करवाये थे।

17. साक्षी फतेहसिंह पी.डब्लयू.14 आरमोरर है, इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 9.1.07 को आरमोरर के पद पर पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर पर तैनात था उस दिन कॉस्टेबिल श्री दामोदर सिह न0 394 मु0नं0 841/06 थाना हिण्डौन से जब्तशुदा आर्म्स एवं एम्यूनेशन वास्ते कराने मुआयना व यांत्रिक परीक्षण कराने हेतु पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर आया और मेरे समक्ष पेश किया। उक्त मुकदमें में जब्तशुदा आर्म्स एक सफेद सूती कपडे की थैली में नमूना शील एमएसआर की सील से शील्ड था। शील्ड पैकेट का मिलान फर्द जप्ती की नमूना सील से किया। दोनों एक जैसी थी। उक्त पैकेट को सील मिलान कर पैकेट की सील को तोडा गया। उसमें एक कट्टा 12 बोर का देशी तथा दो जिंदा कारतूस 12 बोर के निकले। कटटे का यांत्रिक परीक्षण किया गया। कट्टा चालू हालत में था तथा फिट फोर फायर था। कट्टा फायर आर्म्स की तारीफ में आता है। उक्त कट्टे से जब्तशुदा दोनो कारतूस जिंदा थे। जो फायर करने से फायर हो सकते थे। कारतूस फायर एम्यूनेशन की तारीफ मे आते है। दोनों कारतूसों की कैप पर पहचान के लिए के–एएफ 12 दूसरे पर एएफ 12–99 अंकित था। रिपोर्ट कराने के बाद मुआयना बाद यांत्रिक परीक्षण उक्त क्ट्टा व दोनों कारतूसों को उसी थैली में मेरी नमूना सील से शील्ड कर मय मुआयना रिपोर्ट यांत्रिक कॉस्टेबिल श्री दामोदर नं0 394 को देकर पुलिस थाना हिण्डौन सिटी रवाना किया। रिपोर्ट मेरी खुद कलमी है। जो प्रदर्श पी.8 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एक्स मार्क मेरी नमूना सील है।

18. इस साक्षी से जिरह में पूछा गया है कि आरमोरर करौली से हथियार व कारतूस का मुआयना क्यों नहीं कराया गया। इसका उत्तर साक्षी ने दिया है कि उस दिन करौली जिले में आरमोरर उपस्थित नहीं था, इसलिये मुआयना हेतु हथियार उसके पास भेजे गये थे। इस साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा कट्टा व कारतूस फायर करके नहीं देखे गये। टेस्ट करने के जो गेज होते है, उनसे परीक्षण किया था। इस साक्षी के अनुसार कट्टा चालू हालत में था तथा फिट फॉर फायर था तथा दो कारतूस जिन्दा मिले थे, जो फायर करने पर फायर हो सकते थे। कोई अविश्वसनीय बात साक्षी की जिरह में नहीं आई है।

19. साक्षी पी.डब्लयू.15 दामोदर सिंह ने कथन किया है कि दिनांक 09.01.2007 को वह कॉस्टेबिल के पद पर थाना हिण्डौनसिटी में तैनात था। उस समय थाना हिण्डौनसिटी के मुकदमा नं0 841/06 के अभियुक्तगण से जप्तशुदा एक कट्टा

देशी 12 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 12 बोर सील्डशुदा को तहरीर के साथ यांत्रिक परीक्षण हेतु एस.एच.ओ. के आदेश पर आरमोरर रिजर्व पुलिस लाईन, सवाईमाधोपुर लेकर गया था। कट्टा व कारतूसों को तहरीर के साथ आरमोरर को संभलवा दिया था। बाद यांत्रिक परीक्षण आरमोरर, रिजर्व पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर द्वारा कट्टा व कारतूसों को सील्ड कर मय यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट के मुझे एस.एच.ओ. साहब को देने हेतु संभला दिया था। मैंने कट्टा, कारतूस व यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट को एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द कर दिया था। यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 है। इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि उस समय करौली में एस.पी. बैठता था, किन्तु करौली में आरमोरर नहीं था। इस प्रकार पी.डब्लयू.14 फतेहसिंह आरमोरर की साक्ष्य की पुष्टि पी.डब्लयू.15 दामोदर सिंह की साक्ष्य से भी होती है।

20. साक्षी रामनिवास पी.डब्लयू.16 मालखाना इन्चार्ज है। इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 12.11.06 को वह एच.एम. मालखाना के पद पर थाना हिण्डौनसिटी पर तैनात था। उस दिन इस प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्तशुदा सामान को मानसिंह, सी.आई. द्वारा जमा मालखाना कराया गया था, जिसे मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 874/348 पर उक्त माल को दर्ज कर जमा मालखाना किया था। मानसिंह सी.आई. के द्वारा एक मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा रंग काला बिना नंबरी जिसका चेचिस नं0 02एच20एफ08120, एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा सी.डी. डीलक्स बिना नंबरी रंग लाल जिसका चेचिस नं0 06ई29एफ35891 तथा एक सील्ड पैकेट मार्क–ए जिसमें एक कट्टा 12 बोर मय दो जिंदा कारतूस होना बताया तथा एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर नं0 आर.जे.05–4एम. 1003 रंग लाल को मालखाने में जमा कराया था। जप्तशुदा सील्ड पैकेट में रखे कट्टा व कारतूस को वास्ते यांत्रिक परीक्षण दिनांक 09.01.07 को जरिये कॉस्टेबिल दामोदरसिंह भेजा जाकर पुलिस लाईन सवाईमाधोपुर से कराया जाकर वापस जमा मालखाना कराया। असल मालखाना रजिस्टर आज वह साथ लाया है, जिसमें उक्त इन्द्राजात प्रदर्श पी.9 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में प्रदर्श पी.9ए संलग्न है, जो उसकी खुदकलमी है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी श्री रामबाबू शर्मा के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। जिन्हें वह साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। इस साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि मोटरसाईकिल सील्ड हालत में नहीं थी। कट्टा सील्ड हालत में था, इसलिये मैंने उसकी लम्बाई चौडाई नहीं देखी। इस साक्षी से अन्य कोई जिरह नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार इस प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व मोटरसाईकिल सील्ड हालत में उसने मालखाना में दर्ज किये थें।

21. साक्षी अशोक कुमार डेरोलिया पी.डब्लयू.9 वरिष्ठ लिपिक है। इस साक्षी ने अभियोजन स्वीकृति जारी कराने का कार्य किया था। इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 10.01.07 को वह कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था तथा न्याय अनुभाग एवं आर्म्स के लाइसेंस आदि का कार्य मेरे द्वारा ही सम्पन्न किया जाता था। थाना हिण्डौनसिटी के मुकदमा नं0 841/06 धारा 3/25 आयुध अधिनियम की पत्रावली अभियोजन स्वीकृति हेतु पुलिस अधीक्षक करौली के मार्फत प्राप्त हुई थी। इस प्रकरण में अभियुक्त शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल पुत्र श्री सुलेमान उर्फ डुमन्डा जाति मेव मुसलमान निवासी गढी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर से एक देशी कट्टा 12 बोर व दो जिंदा कारतूस 12 बोर के बरामद हुये थे। मैंने इस पत्रावली को अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट करौली को प्रस्तुत किया था। उन्होंने मेरे सामने पत्रावली में संलग्न फर्द जप्ती, रिपोर्ट आरमोरर आदि दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन कर मनन किया और इसके पश्चात् उन्होंने मुझे आदेश क्रमांक न्याय/06/86 को बोल–बोलकर डिक्टेट कराया था। उसके बाद मैंने आदेश को टाईप करके जिला मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श पी.5 है जिस पर ए से बी जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे। मैं उनके साथ कार्य करने के कारण उनके हस्ताक्षरों को पहचानता हूं। अभियोजन स्वीकृति दिनांक 10.01.2007 को जिला मजिस्ट्रेट कुलदीप शर्मा द्वारा जारी की गई थी।

22. जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा प्रकरण में परीक्षित नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिला कलेक्टर कुलदीप शर्मा के स्थान पर न्याय अनुभाग में आर्म्स क्लर्क के पद पर कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक अशोक कुमार डेरोलिया जो कि कुलदीप शर्मा के हस्ताक्षर को पहचानते भी हैं, को परीक्षित कराने की अनुमति बावत पेश किया जिस पर अभियुक्त पक्ष की ओर से अनापत्ति की गयी है। चूँकि अशोक कुमार डेरोलिया अभियोजन साक्ष्य सूची में पहले से अंकित हैं इसलिए उनका बयान पी.ड.9 के रुप में पहले ही लेखबद्ध हो चुके हैं।

23. इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–10) विभाग क्रमॉक एफ. 11(32)गृह–10/2016 जयपुर दिनॉक 20.9.16 के परिपत्र व उक्त परिपत्र में अंकित न्यायिक नजीरों को विचार में लेते हुए अभियोजन स्वीकृति की वैधता को साबित करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले के हस्ताक्षर व्यक्तिगत साक्ष्य

बुलाकर साबित किये जाए वरन् अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर उसके परिचित व्यक्ति के साक्ष्य से साबित किये जा सकते है।

24. इस सम्बन्ध में अभियुक्त पक्ष का यह भी तर्क है कि जिला कलेक्टर ने अभियोजन स्वीकृति जारी करते समय फायर आर्म्स देखे बिना स्वीकृति जारी की है। अभियोजन स्वीकृति के मामले में उपलब्ध सामग्री पर मस्तिष्क का उपयोग करके स्वीकृति जारी करना पर्याप्त है जिसके सम्बन्ध में साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.5 से सम्बन्धित पत्रावली सीधे ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं हुई बल्कि कार्यालय में प्राप्त हुई थी, इसके बाद मैंनें उनके समक्ष पेश की थी। साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि पत्रावली के साथ फायर आर्म्स व एम्युनेशन पेश नहीं हुआ और न ही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जप्तशुदा फायर आर्म्स एवं कारतूसों का अवलोकन नहीं किया। साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 5 में इसका उल्लेख नहीं है किन्तु इसका स्पष्टीकरण दिया है कि सन् 2012 से पूर्व हथियार पेश करने व उनका अवलोकन करने का कानून नहीं था, यह कानून सन! 2012 के बाद आया है। अभियोजन स्वीकृति फर्जी झूंठी हो गलत है। अभियोजन स्वीकृति जिला कलेक्टर के समक्ष साक्षी पी.ड.9 अनिल कुमार द्वारा अभियोजन पत्रावली पेश करने पर जारी हुयी है जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

25. साक्षी लक्ष्मण सिंह पी.ड.10 अनुसॅधान अधिकारी है। इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 12.11.06 को मैं पुलिस थाना हिण्डौनसिटी पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन एस.एच.ओ. श्री मानसिंह चौधरी ने इस प्रकरण की तफ्तीश मुझे सुपुर्द की थी, जिस पर मैंने दिनांक 16.11.06 को घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का नक्शा मौका परिवादी व मौतबिरान की उपस्थिति में बनाया था, जो प्रदर्श पी.3 है, जिस पर ई से एफ मेरे, जी से एच रमेशचंद एच.सी. के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादी मानसिंह व गवाहान नंदराम, रमेशचंद, सीताराम, कैलाशचंद, गजराजसिंह, अमोल, राजू, भरतसिंह, रविन्दरसिंह, भंवरपाल के बयान 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। मेरे द्वारा की गई तफ्तीश के आधार पर मुलजिमान शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल, फकरू, सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर, लुकमान उर्फ लुक्का, आजम व साईद उर्फ गुल्ला के विरूद्ध जुर्म धारा 399, 400, 402, 353 भा0दं0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध साबित पाये जाने पर अभियुक्त शकूरउल्ला उर्फ शुक्कर उर्फ टुप्पल के

विरूद्ध उक्त धाराओं में पूर्ण चार्जशीट एवं अन्य मुलजिमान के खिलाफ धारा 299 दं0प्र0सं0 में चार्जशीट पेश करने हेतु पत्रावली एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द कर दी। जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंनें मुलजिम की शनाख्तगी परेड नहीं करवायी, घटनास्थल से मुलजिमान के फुट प्रिन्ट, फिंगर प्रिन्ट नहीं लिये, कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान नहीं लिये। गवाह ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि जो गवाह मौजूद थे उन्हीं के बयान लिये थे। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ हो और कोई बरामदगी नहीं हुई तथा समस्त कार्यवाही झूंठी की गयी हो।

26. अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2015 आर.सी.सी. (एस.सी.) पेज 537 जसबीरसिंह उर्फ जवेरी उर्फ जब्बार सिंह बनाम हरियाणा राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि भा.दं.सं., धारायें 399, 402, आयुध अधिनियम, धारा 25– उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को निरस्त किया जाकर धारित किया गया कि गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ– परिवादी स्वयं द्वारा ही अपराध का अनुसंधान किया गया, अनुसंधान की साख सन्देहपूर्ण हो जाती है– यह स्वाभाविक नहीं है कि 6 अभियुक्तगण जिनमें से चार के पास घातक हथियार रहे हैं उनके द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले चोटें नहीं पहुॅचायी गयी हों।

27. इस प्रकरण में परिवादी खुद अनुसॅधान अधिकारी नहीं था, ऐसे तथ्य व परिस्थितियॉ हैं। मानसिंह थानाधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकरण में रेड डाली गयी है, मानसिंह इस प्रकरण में परीक्षित नहीं हुआ है न ही उसके द्वारा अनुसॅधान किया गया है। इस प्रकरण में अनुसॅधान पी.ड.10 लक्ष्मणसिंह द्वारा किया गया है। अभियुक्त पक्ष का यह भी कहना है कि अभियुक्त के पास हथियार थे, यदि पुलिस उनका पीछा करती तो उनके द्वारा हथियार चलाये जाते तथा किसी न किसी पुलिस मुलाजिम के उपहति कारित होती, जो इस प्रकरण में नहीं है। उक्त नजीर में यह धारित किया गया है कि यह स्वाभाविक नहीं है कि 6 व्यक्ति जिनके पास घ ातक हथियार थे उनके द्वारा उन्हें चलाया नहीं गया, न ही किसी पुलिस कर्मी के उपहति कारित हुयी है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी.ड.11 नंदराम से सवाल पूछा गया है जिसके सन्दर्भ में साक्षी ने जिरह में जवाब दिया है कि मुलजिमान ने अपनी जान बचाने के लिये हम पर कोई फायर नहीं किये, उन्होंनें मोटरसाईकिल हम पर चढाने का प्रयास किया था। इस प्रकरण में कोई घातक हथियार अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ है। एक कट्टा शकूर उल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल से मय दो कारतूस बारह

बोर बरामद हुआ है। यह प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अभियुक्तगण के पास घातक हथियार हों और वह उन्हें पुलिस से अपनी प्रतिरक्षा में प्रयोग करे या नहीं करे। प्रस्तुत नजीर में परिवादी अनुसॅधान अधिकारी था, उसका अनुसॅधान विश्वसनीय नहीं माना गया। अतः प्रस्तुत नजीर कोई अभियुक्त को सहायता प्रदान नहीं करती है।

28. अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2015 (1) क्रिमी.लॉ.रिपोर्टर (राज0) 477– राजस्थान राज्य बनाम सोनू एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्व ारा यह धारित किया गया है कि ''दण्ड संहिता, 1860– धारा 399 व402– शस्त्र अधिनियम, 1959– धारा 3/25 व 4/25 दोषमुक्ति– अपील हेतु अनमति– 5 या अधिक व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुये साबित नहीं किया– पुलिस गवाहों की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष– अभियोजन स्वीकृति आग्नेय शस्त्र के निरीक्षण के बिना जारी की– अभियोजन साबित करने में असफल रहा कि 5 या अधिक व्यक्ति डकैती/लूट हेतु योजना बना रहे थे– निर्णित, आलोच्य आदेश में अवैधता या अनियमितता नहीं है''।

29. इस प्रकरण में मौके से दो अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं किन्तु उनके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के नाम बताये हैं जो रेड में पुलिसकर्मी थे उन सभी पुलिसकर्मियों द्वारा साक्ष्य में बताया गया है कि मौके पर 5–7 बदमाशान थे। यह सभी पुलिस कर्मी साक्षी पी.ड.1 रमेश चन्द, राजूलाल पी.ड.2, भॅवरपाल पी.ड.3, गजराज सिंह पी.ड.5, सीताराम पी.ड.6, भरतसिंह पी.ड..8, नंदराम पी.ड.11, रविन्द्र सिंह पी.ड.12 व कैलाश चन्द पी.ड.13 की साक्ष्य में कोई मुख्य विरोधाभाष सामने नहीं आया है, ना इनकी अभियुक्त से कोई रंजिश सामने आई हैं। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2015(1) कि0लॉ0रि0 (राज0) पेज 479, कुतुबद्दीन व अन्य बनाम् राज0राज्य व अन्य, में सभी परिस्थितियॉ जो कि निर्णय के मद संख्या 7 में वर्णित है, विपरीत थी। प्रस्तुत नजीर व इस प्रकरण की परिस्थितियॉ समान नहीं है। अतः इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है।

30. न्यायिक नजीर 2015 आर.सी.सी. (एस.सी.) पेज 537 के अनुसार कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे। अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत नजीर में परिवादी स्वयं अनुसॅधान अधिकारी था, उसका अनुसॅधान विश्वसनीय नहीं माना गया है। प्रस्तुत नजीर में घ टना दोपहर 1.20 दोपहर की है। इस सम्बन्ध में उक्त नजीर में इस बात का उल्लेख आया है किः–

12. Strangely, even after observing as above, the High Court has believed the prosecution story in respect of offences punishable under Sections 399 and 402 IPC, and one in respect of offence punishable under Section 25 of Arms Act. The High Court has erred in law in not taking note of the following facts apparent from the evidence on record.

35. The following facts apparent from the evidence on record:-

(1) In a day light incident at 1.20 p.m. Within the limits of City Police Station, Karnal, there is no public or any other independent witness of the arrest of the appellant along with other accused from the place of incident nor that of the alleged recovery of fire arm said to have been made from two of them. (it is not a case where arrest or recovery has been made in the presence of any Gazetted Officer.

31. प्रश्नगत प्रकरण में घटना रात्रि की है, रात्रि में कोई गवाह मौजूद नहीं थे। साक्षी ने जिरह में अभियुक्तगण की ओर से पूछे गये प्रश्न के जवाब में यह उत्तर दिया है कि रात्रि में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिले थे परन्तु प्रकरण में स्वतंत्र गवाह हों आवश्यक नहीं है। पुलिसकर्मियों की अभियुक्तगण के साथ रंजिश नहीं है, पुलिसकर्मियों की साक्ष्य पर अविश्वास तब तक कोई अच्छा कारण नहीं हो नहीं किया जावे। साक्षी मात्र पुलिस कर्मी है या लोक सेवक है, उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति की रही है, यह भी आवश्यक नहीं है कि उनकी साक्ष्य स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि हो। विश्वसनीय प्रकृति की साक्ष्य नहीं होने की दशा में ही उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है बल्कि डिस्कार्ड करने के लिए कोई अच्छा कारण आवश्यक है। जैसाकि न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2003 (एस.सी.) पेज 1311 करमजीत सिंह बनाम् स्टेट (दिल्ली प्रशासन) में धारित किया गया है कि :–धारा 3 साक्ष्य अधिनियम–पुलिस कर्मियो की साक्ष्य, स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि के बिना उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, सही सिद्धान्त नहीं है–पुलिस कर्मी भी उसी प्रकार से ईमानदारी से कार्य करते है, जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति–अतः जब तक कि कोई अन्य आधार नहीं हो, उनकी साक्ष्य पर सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। (पैरा 8)। पुलिस कर्मियों से कोई रंजिश हो, सामने नहीं आया है। साक्षी पुलिस कर्मियों से विस्तृत एवं पर्याप्त जिरह की गई है, कोई मुख्य विरोधाभास सामने नहीं आया है।

32. अभियुक्त पक्ष का कहना है कि प्रकरण में रोजनामचा डायरी प्रस्तुत नहीं की गई है। रोजनामचा डायरी पेश नहीं करने से कोई प्रभाव नहीं पडता है। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, रोजनामचा/डेली डायरी पुलिस स्टेशन में रोज काम आने का दस्तावेज है, जिसे न्यायालय में पेश करने से पुलिस स्टेशन का कार्य बाधित हो सकता है, जो कि लोक हित का है, आम जन को भी इससे परेशानी हो सकती है। रोजनामचा पेश करने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है तो मेरे विचार से प्रकरण पर घातक (Fetal) नहीं होता है यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य गुणवत्ता की हो तो इसका लाभ प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में अभियुक्त को दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः अभियुक्त का यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पेज 201 कल्पनाथ रॉय बनाम् स्टेट द्वारा सी.बी.आई. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 94 में यह धारित किया गया है कि :–

> *94. We do not find any force in the said contention. No doubt Daily Diary is a document which is in constant use in police station, But no prosecution is expected to produce such diaries as a matter of course in every prosecution case for supporting the police version. If such diaries are to be produced by prosecution as a matter of course in every case, the function of the police station would be greatly impaired. It is neither desirable nor feasible for the prosecution to produce such diaries in all cases. Of course it is open to the defence to move the Court for getting down such diaries if the defence wants to make use of it.*

33. धारा 399 भा.दं.सं. के अपराध के लिये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल होना आवश्यक है। मौके पर 5–7 बदमाशान उपस्थित थे, वह सभी मौके पर गिरफ्तार नहीं हुये हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पडता है। पुलिसकर्मियों पर अभियुक्तगण द्वारा कोई हमला कारित किया गया हो ऐसा अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने कथन नहीं किया है। साक्षी नंदराम पी.ड.11 जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि मुलजिमान ने अपनी जान बचाने के लिये हम पर कोई फायर नहीं किये। उन्होंनें मोटरसाईकिल हम पर चढाने का प्रयास किया था। ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की नहीं है न ही मुख्य परीक्षा में ऐसी कोई बात आयी है कि अभियुक्तगण ने मोटर साईकिल चढाने का प्रयास किया था। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 353 भा0दं0सं0 का अपराध संदेह से परे साबित नहीं है।

34. मौके पर पॉच या पॉच से अधिक अभियुक्तगण झारेडा रोड पर फाटक से पहले बाईपास रोड के नीचे झाडियों में अकेले बैठे हुये पाये गये तथा उनके पास आयुध थे तो यह माना जावेगा कि वह डकैती के अपराध की तैयारी करने के लिये मौके पर एकत्रित हुये थे, जो धारा 399 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये पर्याप्त है जो इस प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से साबित भी है।

35. धारा 400 भा0दं0सं0 के अनुसार आदतन डकैती कारित करने से सम्बन्धित है। अभियुक्त को पूर्व में भी डकैती के अपराध में कोई पूर्व दोषसिद्धि की गयी हो अथवा प्रकरण लम्बित हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने पेश नहीं की है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 400 भा.दं.सं. का आरोप अभियोजन साबित नहीं कर पाया है।

36. अभियुक्त पक्ष के अनुसार धारा 402 भा0दं0सं0 का अपराध अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है। धारा 402 भा0दं0सं0 डकैती कारित करने के उद्देश्य से घटनास्थल एकत्रित होना था। इस प्रकरण में पॉच से अधिक व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे, उनसे आयुध बरामद हुये हैं। पुलिस को देखकर उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया है। धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त का आचरण सुसंगत माना गया है। घटनास्थल पर पुलिस को देखकर कोई व्यक्ति तभी भाग सकता है जबकि उसका अपराध कारित करने का आशय रहा हो। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति रात्रि में आयुधों से लैस मौके पर पाये गये थे, जिनमें से दो अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा पकडा गया था। इस सम्बन्ध में धारा 8(एफ) साक्ष्य अधिनियम सुसंगत हैः—

> प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा
>
> ''ये तथ्य के ख के लुट जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिये पुलिस आ रही है, और यह कि उसके तुरन्त पश्चात क भाग गया, सुसंगत है''।

37. मौके पर पॉच या पॉच से अधिक अभियुक्तगण झारेडा रोड पर फाटक से पहले बाईपास रोड के नीचे झाडियों में अकेले बैठे हुये पाये गये तथा उनके पास आयुध थे तो यह माना जावेगा कि वह डकैती के अपराध की तैयारी करने के लिये मौके पर एकत्रित हुये थे, जो धारा 402 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये पर्याप्त है जो इस प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों से साबित भी है।

38. प्रकरण में अभियुक्त शकूरउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल से देशी 12 बोर का अवैध कट्टा व 2 कारतूस जिन्दा बरामद किये गये हैं। सभी साक्षीगण की साक्ष्य में यह तथ्य आया है। आरमोरर पी.ड.14 फतेहसिंह के अनुसार कट्टा फिट फार फायर था व कारतूस जिन्दा थे। अभियोजन स्वीकृति अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी.5 साक्ष्य में प्रदर्शित करवायी है। इससे सम्बन्धित साक्षी पी.ड.9 अशोक कुमार डेरोलिया परीक्षित कराया है। अभियुक्त शकूरउल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल को मौके पर पकडा गया है तथा उससे देशी 12 बोर का अवैध कट्टा व 2 कारतूस जिन्दा बरामद हुये हैं। सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस से अभियुक्त की कोई रंजिश नहीं है, ऐसी स्थिति में अविश्वास का कोई कारण नहीं है। पुलिसकर्मियों की साक्ष्य का खण्डन भी नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध साबित करने में सफल रहा है।

39. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 399, 402, भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा धारा 353, 400 भा.दं.सं. का आरोप सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 399, 402, भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्धि घोषित किये जाने योग्य है तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 353, 400 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

40. अतः अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल पुत्र सुलेमान उर्फ डुमण्डा जाति मुसलमान निवासी गढ़ी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर (राज0) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 353, 400 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 399, 402, भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

41. इस प्रकरण में सह अभियुक्त सम्मस उर्फ समसू उर्फ किच्चर, लुकमान उर्फ लुक्का, साहिद उर्फ गुल्ला मफरूर हैं तथा अन्य अभियुक्त फकरू एवं आजम के विरूद्ध धारा 299 दं.प्र.सं. के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत को नियमानुसार सुरक्षित रखा जावे तथा प्रकरण के

मुख्य पृष्ठ पर सुर्ख लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण का कोई भी भाग जाया/नष्ट नहीं किया जावे।

(राजेश नारायण शर्मा)

42. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का कहना है कि अभियुक्त इस प्रकरण में काफी समय तक अभिरक्षा में रह चुका है तथा पिछले करीब 10–11 वर्ष से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। निवेदन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

43. उभय पक्षों के तर्को पर विचार कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 399, 402 भा.दं.सं. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप प्रमाणित हुआ है, अभियुक्त ने सुबह करीब 3.00 ए.एम. बजे अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त रूप से डकैती की योजना बनाते हुए तैयारी की और संयुक्त रूप से डकैती के प्रयोजन के लिए एकत्रित हुए, अभियुक्त के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञप्ति के एक देशी कट्टा 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर बरामद किये गये है। जो गम्भीर प्रकृति के आरोप है। यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। अतः अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

दण्डादेश

44. अतः अभियुक्त सकरूल्ला उर्फ सुक्कर उर्फ टुप्पल पुत्र सुलेमान उर्फ डुमण्डा जाति मुसलमान निवासी गढ़ी मेवात थाना डीग जिला भरतपुर (राज0) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 399, 402 भा0दं0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर निम्नानुसार दण्डित किया जाता हैः–

- अभियुक्त को धारा 399 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा से व बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा और भुगतेगा।
- अभियुक्त को धारा 402 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर पॉच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से व बीस हजार रूपये के

अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा और भुगतेगा।

- अभियुक्त को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छ : माह के साधारण कारावास की सजा और भुगतेगा।

45. अभियुक्त को दी गई सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी निरोध की अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे। अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को उपलब्ध कराई जावे।

(राजेश नारायण शर्मा)

46. निर्णय आज दिनांक 07.03.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(राजेश नारायण शर्मा)